

अनुमति की शर्तें।

- (i) वस्तु भाग/भूखण्ड के विभाग की स्वीकृति अनिवार्य सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही विभाग किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करते ही आवेदनक विभाग को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत शर्तों के विरुद्ध निर्माण कार्य जाने पर स्वीकृत विवरण की जा सकती है।

श्री अश्विनी केवल शांतिश्री अश्विनी
 कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 144 दिनांक 25/06/19

प्राची श्रीगुरु माधुर जीवन्ती अश्विनी जल माधुर

ने राजस्थान नगर पंचायत अधिनियम 2009 9-200-181672 शांतिश्री अश्विनी

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

संघन निर्माण हेतु मार्गाधिकार कार्यालय में पेश

कर स्थानिकीय राजस्व न्यून 12216/- प्लान

जारी संख्या 1028/3013, 3014

दिनांक 25/06/2019 को जमा करा दी है।

जी+1

शांतिश्री

शांतिश्री
 नगर निगम, जोधपुर

श्री लक्ष्मी माधुर
 महापंच नगर निगम
 नगर निगम, जोधपुर

Wslwish

फ़ोन नं. 9461266269